न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः–गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 44/19 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. हगामी पुत्री हांसा जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. आसुराम आत्मज छोगा गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भैरूलाल आत्मज छोगा गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. देउ पत्नि स्व0 पारसमल गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बद्रीलाल आत्मज सवाईराम जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. डालु आत्मज लेहरू कुम्हार निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. लच्छु आत्मज लेहरू कुम्हार निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. फेफी पत्नि लेहरू कुम्हार निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. रतनलाल आत्मज माना कुम्हार निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. मीठुलाल आत्मज माना कुम्हार निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मगना आत्मज माना कुम्हार निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. माधुलाल आत्मज किशनलाल जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. लेहरूलाल आत्मज देवीलाल जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. हेमराज आत्मज देवीलाल जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. रतनलाल आत्मज हीरालाल जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

2. जगदीश चन्द्र व्यास –

अधिवक्ता प्रार्थीया

निर्णय

दिनांक 12.06.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गल्यावड़ी पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे शुदा कृषि भूमिया खाता सख्या 410 में अकित आराजी संख्या 701 रकबा 0.72 हैक्ट. आराजी संख्या 920 रकबा 0.97 हैक्ट. आराजी संख्या 921 रकबा 1.80 हैक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 3.49 हैक्ट. स्थित हैं। प्रार्थना पत्र के साथ वर्तमान जमाबन्दी की नकल व नक्शा ट्रेस के साथ पेश हैं। प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 920 रकबा 0.97 एवं आराजी संख्या 921 रकबा 1.80 हैक्ट. कृषि भूमियो के चारो के चारौ तरफ थोहर बाड़ व निशानात नही होने से कृषि कार्य करने पर आये दिन पड़ौसी काश्तकारो से विवाद बना रहता हैं। प्रार्थीया की कृषि आराजी संख्या 920 व 921 के पर्व दिशा में विपक्षी संख्या 1 से 3 की कृषि आराजी 922 स्थित है तथा पश्चिम में विपक्षी बद्रीलाल की कृषि आराजी संख्या 809 स्थित हैं इसी प्रकार उतर दिशा में विपक्षी संख्या 5 से लगा 13 की कृषि भुमिया स्थित हैं तथा दक्षिण दिशा में विपक्षी संख्या 14 एवं 1 से लगा 3 की कृषि भूमियां स्थित हैं। प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमियो के विपक्षीगण पडौसी होने से पक्षकार बनाये गये हैं। प्रार्थीया ने कतिपय बार सहमति से कृषि भुमियो का सीमाज्ञान करवाने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण

तैयार नही हुये व आये दिन झगड़ा फिसाद करते हैं जिससे प्रार्थीया कृषि भूमियो की पत्थरगढ़ी कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही हुँ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 13.03.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण संख्या 1 से 14 तक बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम गल्यावड़ी पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे शुदा कृषि भूमिया खाता सख्या 410 में अंकित आराजी संख्या 920 रकबा 0.97 हैक्ट. आराजी संख्या 921 रकबा 1.80 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 2.77 हैक्ट. स्थित हैं। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीया सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीया इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 200/– अक्षरे दो सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 1400/– अक्षरे एक हजार चार सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

9. श्री माठूलाल आत्मज नाना जी कुम्हार आयु वयस्क निवासी